

वधिनसभल में आरक्षण संशोधन बलि-2023 पास

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2023 को बहिर वधिनसभल में आरक्षण संशोधन बलि-2023 पास हो गल। इसके अस्तत्व में आने पर एससी, एसटी और पछिड़ा वर्गों कल आरक्षण कल दलरल बढू जलएगल।

प्रमुख बदि

- बहिर वधिनसभल ने सर्वसम्मतल से बहिर पदों एवं सेवलओं की रकलतयों में आरक्षण (अनुसूचित जलतयों, अनुसूचित जलतयों एवं अन्य पछिड़ा वर्गों के लयल) अधनलयल और बहिर (शैक्षणकल संस्थलनों में) आरक्षण अधनलयल में संशोधन की मंजूरी दे दी।
- संशोधन अधनलयल के तहत दोनों मलमलों में अनुसूचित जलतयों को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजलतयों को दो फीसदी, पछिड़ा वर्ग को 18 फीसदी और अत्यंत पछिड़ा वर्ग को 25 फीसदी सहलत कुल 65 फीसदी आरक्षण रहेगल। इसके अलवल केंद्रीय अधनलयल के तहत पहले से स्वीकृत इडब्लूएस (आर्थकल रूप से कमजोर सलमलन्य वर्ग के लोगों) को 10 फीसदी कल आरक्षण मललतल रहेगल।
- 10 नवंबर को यह दोनों वधलयक बहिर वधिन परषद में पेश कलये जलयेंगे। वधिन परषद में पास होने के बलद बहिर की सरकलरी नौकरयों और शैक्षणकल संस्थलनों के नलमलंकन में 75 फीसदी आरक्षण मललैगल।



